

संख्या- 27/12/2010-एस.आर.एस.  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  
एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली ।  
दिनांक 5/8/10, 2010

- 5 AUG 2010

सेवा में,

1187/10/SAS  
6/8/10

मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश सरकार,  
लखनऊ ।

1188/10/SAS  
6/8/10

मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल सरकार,  
देहरादून ।

विषय: दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में विचार


महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत स्वीकृत करने की संस्तुति की है ।

समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियों की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत मान लिया गया है । संलग्नक के स्तम्भ 2 में उल्लिखित कार्मिकों को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय




(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:-

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

संलग्नक 11 कार्मिकों की सूची 2 पृष्ठों में



1189/SAS/10  
G/P

1190/SAS/10  
6/8/10

दाम्पत्य नीति के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की 77वीं बैठक दिनांक  
20 अप्रैल, 2010 की बैठक में स्वीकृत प्रत्यावेदन

माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/ तैनाती	नियुक्ति तिथि	पत्नी का नाम/ पदनाम/ तैनाती	नियुक्ति तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री राम शंकर पाल, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज, लम्बागाँव, टिहरी गढ़वाल	29.11.1982	श्रीमती किरन, प्रवक्ता गणित, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, बरुआ सागर, झाँसी, उत्तर प्रदेश।	23.08.1978	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री राम शंकर पाल को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
2	श्री राजेन्द्र यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज, कनैलधार, टिहरी गढ़वाल	20.09.1996	श्रीमती कमलेश, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कसेसर, शिक्षा क्षेत्र नगरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश।	23.10.1982	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री राजेन्द्र यादव को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
3	श्री ओम प्रकाश, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सकैनिया, ऊधम सिंह नगर।	29.10.1990	श्रीमती रामवती, सहायक अध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कञ्जानाथ पट्टी, विकास क्षेत्र ललौरीखेड़ा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।	03.12.1999	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री ओम प्रकाश को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
4	श्री जगदीश सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज, खाल्यूखेत, पौड़ी गढ़वाल	25.09.1996	श्रीमती कान्ती यादव, सहायक अध्यापिका, जूनियर हाई स्कूल, अतरछा खुर्द बिलग्राम हरदोई, उत्तर प्रदेश।	22.09.1997	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री जगदीश सिंह को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
5	श्री नवल किशोर नामदेव, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज मोहनचट्टी, पौड़ गढ़वाल	15.12.1989	श्रीमती सम्पत्ति देवी, स्वास्थ्य कार्यकर्त्री, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डकोर, उरई, उत्तर प्रदेश।	22.12.1984	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री नवल किशोर नामदेव को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
6	श्री राम लखन मोर्य, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज लमगड़ा, अल्मोड़ा।	18.09.1996	श्रीमती अर्चना मोर्य, सहायक अध्यापिका, उच्च प्राथ. विद्यालय सरखना पलिया कलां, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।	13.07.1986	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री राम लखन मोर्य को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
7	श्री अजय कुमार, पक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज धूनाथल, अल्मोड़ा।	03.07.1999	श्रीमती नीलम, प्रधानाध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सरायकाइयाँ, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश।	07.10.1997	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री अजय कुमार को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।

21/10/10

## एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/ तैनाती	नियुक्ति तिथि	पत्नी का नाम/ पदनाम/ तैनाती	नियुक्ति तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	10
1	श्रीमती आशा त्रिपाठी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडाण्डा, सम्बद्ध निदेशालय आई०सी०डी०एस०, देहरादून	07.07.1999	श्री शशिकान्त त्रिपाठी, चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी विभाग, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश	21.11.1996	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्रीमती आशा त्रिपाठी को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की सैद्धान्तिक रूप से संस्तुति प्रदान की गई तथा उत्तर प्रदेश की अनापत्ति/संस्तुति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

## चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/ तैनाती	नियुक्ति तिथि	पत्नी का नाम/ पदनाम/ तैनाती	नियुक्ति तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	10
1	डा० अशोक कुमार, आकस्मिक चिकित्साधिकारी, एस०पी०एस० राजकीय चिकित्सालय, देहरादून	05.11.1997	श्रीमती आशा रानी पवार, डाक सहायक, मुख्य डाकघर बिजनौर, बिजनौर	01.01.1991	उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति अप्राप्त होते हुये भी डा० अशोक कुमार को इस शर्त के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित कर दिया जाये कि आदेश निर्गत होने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि श्रीमती आशा रानी पवार की सेवाये उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थानान्तरणीय नहीं हैं।
2	श्रीमती द्रौपदी देवी, उपचारिका, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।	01.07.1999	श्री भगवान सिंह, प्रभारी, ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, कृषि मण्डी समिति, गोण्डा, उ०प्र०	26.12.1989	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्रीमती द्रौपदी देवी को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की सैद्धान्तिक रूप से संस्तुति की गई और यह निर्देश दिया गया कि इनके पति के संबंध में शासकीय सेवा में होने की पुष्टि कर ली जाये।
3	श्रीमती इशरावती, उपचारिका, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।	01.07.1999	श्री कमलेश्वर सिंह, स्वास्थ्य परिवेक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरी बाजार, जनपद-देवरिया।	19.10.1979	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्रीमती इशरावती देवी को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की सैद्धान्तिक रूप से संस्तुति की गई और यह निर्देश दिया गया कि इनके पति के संबंध में शासकीय सेवा में होने की पुष्टि कर ली जाये।

15/5